संख्या:–919 / XVII–2 / 17–13(10) / 2016

प्रेषक,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
ग्राम्य विकास मंत्रालय,
एन.एस.ए.पी. डिवीजन, कृषि भवन,
नई दिल्ली।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2017

विषय:–रिट याचिका (सिविल) संख्या–659/2007 इन्वायरमेन्ट एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या–659/2007 इन्वायरमेन्ट एण्ड कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन फाउण्डेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा Pension, as a welfare measure ought to be linked with the cost of living index and should not be arbitrarily fixed किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना के समस्त पात्र लाभार्थियों को प्रत्येक माह ₹ 1,000/– पेंशन धनराशि का भुगतान किया जाता है, जबकि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में ₹ 300/– की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन में ₹ 700/– की धनराशि को सम्मिलित करते हुये प्रत्येक पेंशनरों को प्रति माह ₹ 1,000/– की धनराशि प्रदान की जा रही है, परन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में Pension, as a welfare measure ought to be linked with the cost of living index and should not be arbitrarily fixed किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में उक्त पेंशन में अतिरिक्त धनराशि की वृद्धि किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।